संख्या 205/VI-I/2007-2(3) 2007

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उपसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग:

देहरादून दिनांक 28 दिसम्बर 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2007-08 में अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि के स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-412/दो-1473/2007-08 दिनांक 26 जुलाई 2007 एवं शासनादेश संख्या 130/VI-I/2007-2(3)2007 दिनांक 9-8-2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि युवा कल्याण विभाग, उत्तरांचल के वित्तीय वर्ष 2007-08 के आयोजनेत्तर पक्ष अवचनबद्ध मदों में रू0 9.50 लाख (रूपये नौ लाख पचास हजार मात्र) निम्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अनुदान संख्या -19
लेखाशीर्षक -2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम
800-अन्य व्यय
0802-युवा कल्याण (क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी) संबंधी अधिष्ठान

आयोजनेत्तर (धनराशि लाख में)

क्र0 स0	मानक मद	आय व्यय में प्राविधान	विभाग द्वारा प्रस्तावित धनराशि	वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	04 यात्रा व्यय	7.00	7.00	7.00
2.	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00	1.00	1.00
3.	07- अवकाश यात्रा व्यय	1.50	1.50	1.50
	योग-	9.50	9.50	9.50

2. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 599/XXVII(1)/07 दिनांक 12.7.2007 में विहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि, मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

4. धनराशि का किसी भी दशा में व्ययवर्तन नही किया जायेगा।

5. धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की समय सारिणी बनाकर ही आहरण किया जायेगा।

6. उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी।

7. धनराशि उसी मद में व्यय की जाय, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

8. इस सम्बंध में अवचन बद्ध मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 उपर्युक्त अनुदान संख्या–19 के लेखाशीर्षक –2515–के संगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 353(NP) /XXVII (I)/2007 दिनांक 26 दिसम्बर 2007 द्वारा प्रदत्त आदेश से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव

पृष्ठांकन संख्या: 205 /VI-I/2007–2(3) 2007 तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु।
3– निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु
4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, देहरादून।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

28.12.07

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव